

## निर्णय

( आज दिनांक 27.02.2017 को पारित किया गया )

1. आरोपी द्वारा की गयी स्वेच्छापूर्वक दोषसिद्धि के अभिवाक के परिणामस्वरूप आरोपी को धारा 279, 337 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है ।

2 आरोपी को निम्न तालिका अनुसार दण्डित किया जाता है

धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
279 भा.द.स.	न्यायालय उठने तक का	एक हजार रुपये	दस दिवस
337 भा.द.स. आहत अनुराग के संबंध में	कुछ नहीं	पांच सौ रुपये	पांच दिवस
337 भा.द.स. आहत आदित्य के संबंध में	कुछ नहीं	पांच सौ रुपये	पांच दिवस

3. प्रकरण में जप्त वाहन क्रमांक एम0पी0-30-पी.0771 आवेदक सुरेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

4. धारा 357 दफ़्त के अधीन जमा अर्थदण्ड में से प्रतिकर राशि पांच-पांच सौ रुपये प्रत्येक आहत आदित्य व अनुराग शर्मा को अपील अवधि पश्चात प्रदान किए जायें। अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

सही/—

गोपेश गर्ग  
जे.एम.एफ.सी गोहद जिला भिण्ड